

झारखंड सरकार  
मानव संसाधन विकास विभाग  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक मा० शि० झारखंड, राँची

सेवा में,

सचिव,  
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली।

राँची, दिनांक 30.1.04

विषय- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अंतर्गत संचालित निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है-

1. इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, काँके रोड राँची।
2. स्टार इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल कोकर राँची।
3. इस्ट प्याईन्ट राँची।
4. सरस्वती विद्यामंदिर करकेट्टा परियोजना खेलाड़ी, राँची
5. दयावती भीदी पब्लिक स्कूल उषेनगर, चाण्डल पूर्वी सिंहभूम।
6. गायत्री शिक्षा निवेदन उच्च विद्यालय, आदिपुर सरायकेला-खरसावाँ।
7. डी०ए०भी पब्लिक स्कूल सिमडेगा।
8. स्कूल आँके कमीटीजन तालडांगा हाउसिंग कलोनी खिरकुआगे धनबाद।
9. मुनभ्रम पब्लिक स्कूल महाराजगंज, हजारीबाग।
10. सरस्वती शिक्षा विद्या मंदिर बरगड़ा गिरीडीह।
11. सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्प प्रोजेक्ट हजारीबाग।
12. राम प्रसाद चन्द्रभान सरस्वती विद्या मंदिर गोळा रोड, हजारीबाग।
13. ग्रीन माउन्ट स्टेपनी, जेल रोड दुमका।

शर्त एवं बन्धेज जिसके अधीन उपर्युक्त निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

1. विद्यालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया

1. कुल जायदाद 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।
2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा।
3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्बाधत या कम से कम 30 वर्ष के निर्बाधत पट्टा/लीज पर होना चाहिए। यदि भविष्य में जाचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा।
4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की बढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा।
6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य कुलक का 50 प्रतिशत कुलक लिया जायेगा।
7. विद्यालय का कार्य कलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रियता का संघार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रसास करना होगा।
8. विद्यालय में छात्रों की सुरक्षित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिए।
9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीचीपरान्त संशोधन कर सकेगी।
10. विद्यालय संचालन प्रक्रिया नियमावली के आधार पर गठित शास्त्री निकाय के सदस्यों की कार्यविधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के स्कॉटेन्सन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एच0एच0 स्काउड एवं गार्ड्स आदि को सुचारु रूप से करना होगा।
12. यदि कोई संस्था पूर्व से फिती बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
13. उपर्युक्त शर्तों या बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों को जाली वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटूता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।
15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग,

झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधायक संस्था के विरुद्ध एवं अकादमीय अनियमितताओं की जांच करा सकेगी और अखंडे जांचोपरान्त श्रुद्धिपूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा अश्रुद्धिपूर्वक माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधायक सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिखे जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शाक्तों का उलंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वनाथभाजन

30.1.24  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

झारखंड, रांची ।

ज्ञापक 209 / रांची, दिनांक - 30.1.24  
प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/ सभी संबंधित जिला शिक्षा अक्षर पदाधिकारी/ सभी संबंधित विधायक के प्रधानाध्यापको को सूचना प्रेषित ।

30.1.24  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

झारखंड, रांची ।

ज्ञापक 209 / रांची, दिनांक - 30.1.24  
प्रतिलिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

30.1.24  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

झारखंड, रांची ।